(39)

A-3218/I/14 कटनी

दस रुपये TEN RUPEES

मेसर्स टाप ग्रेन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1/1 मेरी पीथर दीप सेकेन्ड फ्लोटर बाराबाला बिल्डिंग कलकत्ता 32 पश्चिम बंगाल द्वारा प्रतिनिधि रमेश सिंह तनय हरिराज सिंह साकिन सरलानगर मैहर जिला सतना (म.प्र.) ....अपीलाण्ट/अनावेदक

बनाम

म.प्र.शासन जरिये कलेक्टर कटनी जिला कटनी (म.प्र.) .... रेस्पाडेण्ट/अनावेदक

अपील विरूद्ध न्यायालय एडिस्नल कमिश्नर जबलुपर संभाग जबलपुर के अपील प्र.क.470/बी–121/13–14 निर्णय दिनांक 08.08.2014 एवं अपील विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय कटनी के रा.प्र.क. 93/बी–131/11–12 निर्णय दिनांक 07.03.2014 के द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म.प्र.भू.रा. संहिता 1959

मान्यवर,

अपीलाण्ट की ओर से निम्नलिखित अपील मेमों प्रस्तुत है : –

यह कि उक्त उन्मान प्रकरण में सारांश यह है कि अपीलाण्ट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के साथ कंपनी अधिनियम 1956 को गर्वन करते हुए एक प्राइवेट कंपनी है तथा ... सिंह तथा हरिराज सिंह उक्त कंपनी के डायरेक्टर है। उक्त कंपनी ने

(d)-11

(39)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. अपील 3218-I/14 जिला कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-12-14 जबलपुर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्र.क्र. 470/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दि. 8-8-14 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिससे दुखित होकर यह अपील आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है।	
	2- अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 8-8-14 से अपर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-3-14 को स्थिर रखा है क्योंकि अपर कलेक्टर जिला कटनी ने अपने आदेश में यह उल्लेखित किया है कि प्रश्नाधीन शासकीय पट्टे की भूमि बगैर कलेक्टर की अनुमति के क्रय की गई है तथा भू-राजस्व संहिता की धारा 165 (7) (बी) के अनुसार शासकीय पट्टे की भूमि को शासन घास मद में दर्ज किये जाने के आदेश हैं। अतः प्रथमदृष्टया अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में उचित कार्यवाही की है। यह ~~[illegible]~~ अपील आधारहीन होने से इसी स्तर पर सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है।	
	(हस्ताक्षर) प्रशासकीय सदस्य	

[कृ. प. उ.